कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : एफ 32 (1) रसद / खाद्य सुरक्षा / आवंटन / 2016 / 307 दिनांक : 20 / 04 / 2018

उप–आवंटन आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

खाद्य विभाग के आवंटन आदेश क्रमांक एफ 13 (1) खा.वि. / आवंटन / खाद्य सुरक्षा / 2017 जयपुर दिनांक 06 / 04 / 2018 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु जिले को **माह मई, 2018** हेतु **9222 एम.टी.** गेहू का आवंटन प्राप्त हुआ है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन का अधिकार जिला रसद अधिकारी को दिया गया है। अतः उचित मूल्य दुकानदारों के पास 01 अप्रैल 2018 को अवशेष स्टॉक की आंशिक मात्रा को समायोजित करते हुए माह मई 2018 के लिए **8143** एमटी गेहू का खाद्य सुरक्षा योजना के तहत **अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं ए.पी.एल के चयनित पात्र परिवारों हेतु** आवटन जारी किया जाना है एवं **1079** एमटी गेहू समर्पित किया जाना है। अतः माह मई 2018 हेतु **8143** एमटी गेँहू का थोक विक्रेतावार / तहसील वार उप–आवंटन निम्नानुसार जारी किया जाता है–

बी.पी.एल., स्टेट बी पी एल, अन्त्योदय एवं ए.पी.एल. के पात्र परिवारों हेतु माह मई 2018 हेतु

(मात्रा एमटी)

नाम थोक विक्रेता	पंचायत समिति	अन्त्योदय कार्ड	35 किलो प्रति राशनकार्ड से आवंटन	अन्य पात्र परिवार	अन्य पात्र परिवारों की युनिट	5 किलो प्रति युनिट से आवंटन	एफ.सी.आई से उठाव हेतु आवंटित मात्रा
1	2	3	4	5	6	7	8
एजंस संघ बांसवाड़ा	कुशलगढ	5156		36294	156564	782.82	
	सज्जनगढ	6941		32066	156643	783.215	
	न.पा.कुशल	726		862	2960	14.8	
	आनन्दपुरी	5294		28852	125412	627.06	
	बागीदौरा	4146		22371	102857	514.285	
	गांगडतलाई	4512		17345	84074	420.37	
	योग	**26775**	**937.13**	**137790**	**628510**	**3142.55**	**3533.30**
केवीएस एस एस बांसवाडा	छोटी सरवन	3704		16176	68626	343.13	
	प.स. बांसवाड़ा तह आबापुरा	2139		12011	52113	260.565	
	योग	**5843**	**204.51**	**28187**	**120739**	**603.695**	**698.70**
राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लि.	न.प. बांस.	3883		8625	36254	181.27	
	पं.स. बांसवाडा तह बांसवाडा	2947		16950	70166	350.83	
	पं.स.तलवाडा तह बांसवाडा	2989		19308	81244	406.22	
	योग	**9819**	**343.67**	**44883**	**187664**	**938.32**	**1143.70**
केवीएसएस गढी	गढी	**7353**	**257.36**	**52226**	**225338**	**1126.69**	**1289.00**
उ.थोक भण्डार	घाटोल	**10618**	**371.63**	**59352**	**279620**	**1398.1**	**1478.30**
	महायोग	**60408**	**2114.3**	**322438**	**1441871**	**7209.355**	**8143.00**

माह मई 2018 हेतु उचित मूल्य दुकानवार आवंटित गेहू की सूची पृथक से दी जा रही है। इस सूची के अनुरूप ही उचित मूल्य दुकानदारों को गेहू का आवंटन किया जावेगा। खाद्य विभाग के उपरोक्त आवंटन आदेश के अनुसार आवंटित गेहूँ की उपरोक्त मात्रा का उठाव निर्धारित अन्तिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी :–

1. अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवारो को प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहू 2 रू. प्रतिकिलो की दर से वितरण किया जावेगा।
2. खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत बी.पी.एल. व स्टेट बी.पी.एल. परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहू वितरण किया जावेगा।
3. ए.पी.एल. से चयनित पात्र परिवारों को 2 रू. प्रति किलोग्राम की दर से प्रति व्यक्ति (प्रति युनिट) 5 किलोग्राम गेहू वितरण किया जावेगा।
4. थोक विक्रेताओं को उचित मूल्य दुकानवार को आवंटित गेहू की सूची पृथक से दी जा रही है। सूची के अनुरूप ही सबधित डीलर को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. गेहूँ का वितरण कार्य नये डीजिटल राशन कार्डो पर POS मशीन के द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही किया जावेगा।

6. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम में आवंटित खाद्यान्न की राशि जमा कर रिलिज ऑर्डर प्राप्त करेंगे।
7. प्रबन्धक खा.ना. आपूर्ति निगम लि. बॉसवाड़ा एवं समस्त थोक विक्रेता खाद्यान्न का उठाव करते समय फैयर एवरेज क्वालिटी अथवा यू.आर.एस. श्रेणी का गेहूँ भौतिक रूप से देख कर ही लेंगे। नियमानुसार सैम्पल लिया जावेगा। खराब क्वालिटी गेहूँ का उठाव नही किया जावेगा।
8. यदि थोक विक्रेता द्वारा किसी उचित मूल्य दुकानदार को खराब गेहूँ की आपूर्ति करता है तो उसका वितरण उपभोक्ताओं में नही किया जावे तथा थोक विक्रेता खराब गेहूँ को अपने स्तर से बदलेगा।
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षको द्वारा समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को अविलब गेहू का उठाव करने हेतु पाबन्द किया जावेगा । यदि किन्ही उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक विक्रेताओं के वहां राशि जमा कर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी एवं जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
10. किसी भी उपभोक्ता को एक से अधिक योजनाओं में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक थोक विक्रेता से प्रतिदिन उठाव व वितरण की सूचना प्राप्त कर रेण्डम आधार पर उचित मूल्य दुकानदारों को आपूर्ति किये जाने वाले गेहू का भौतिक सत्यापन करेंगे। समस्त प्रवर्तन अधिकारी अपने क्षेत्र में गेहू वितरण पर निगरानी रखेंगे तथा समय – समय पर प्रभावी निरीक्षण करेंगे।
12. समस्त थोक विक्रेता परिवहन समानीकरण के लेखे प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिला रसद अधिकारी, कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13. उचित मूल्य दुकानों के सूचना पट्ट पर वितरण की जाने वाली सामग्री की मात्रा, दुकानों के खुलने व बन्द होने का समय, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक की पूर्ण सूचना प्रतिदिन प्रदर्शित की जावें।
14. उचित मूल्य दुकान पर आवंटन एवं वितरण सम्बन्धी रिकार्ड निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही वितरित किये जा रहे खाद्यान्न का नमूना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए।
15. उचित मूल्य दुकानों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक रजिस्टर, पूर्व के वितरण रजिस्टर एवं POS मशीन दुकान परिसर में हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जावें। यह व्यवस्था कठोरता से लागू की जाये।
16. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से सम्बन्धित सभी एजेन्सियों द्वारा उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें। यदि किसी भी एजेन्सी द्वारा अनियमितता करना पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत चयनित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर (रसद),
बाँसवाड़ा

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक उपभोक्ता मामलात् महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सांसद महोदय, बांसवाड़ा– डूंगरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बांसवाड़ा।
4. जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, बांसवाड़ा।
5. विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बांसवाड़ा/गढ़ी/घाटोल/बागीदौरा/कुशलगढ़।
6. प्रधान, पंचायत समिति, बांसवाड़ा /घाटोल/गढी /बागीदौरा/छोटी सरवन /कुशलगढ /सज्जनगढ/ आनन्दपुरी/तलवाडा/अरथुना/गांगडतलाई।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा उक्त आवंटन आदेश की प्रतियां जिला परिषद की सामाजिक एवं न्याय समिति के सदस्यों को भी उपलब्ध करावें।
8. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा/ घाटोल/गढी/बागीदौरा/कुशलगढ/सज्जनगढ/आनन्दपुरी/छोटी सरवन।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी बांसवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में समाचार आईटम के रूप में प्रकाशन हेतु।
10. उपनिदेशक सूचना प्रोद्योगिकि एवं संचार विभाग बांसवाड़ा को जिले के वेब पोर्टल पर डालने हेतु।

11. तहसीलदार, तहसील बाँसवाड़ा /छोटी सरवन/ आम्बापुरा/घाटोल/गनोडा/गढ़ी/बागीदौरा/आनन्दपुरी/गागडतलाई/ कुशलगढ/सज्जनगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति बांसवाड़ा,गढ़ी/घाटोल/बागीदौरा/आनन्दपुरी/सज्जनगढ/कुशलगढ/छोटी सरवन /तलवाड़ा/अरथुना/गागडतलाई ।
13. क्षेत्र प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम उदयपुर।/सहायक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम बांसवाड़ा।
14. प्रर्वतन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, बांसवाड़ा/घाटोल/गढ़ी/कुशलगढ/बागीदौरा को वितरण पर पूर्ण सतर्कता हेतु।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राज्य एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बांसवाडा।
16. क्षेत्रीय प्रबन्धक राजस संघ बांसवाडा।
17. मुख्य व्यवस्थापक स.उ.थोक भण्डार बांसवाड़ा।
18. मैनेजर,क्र.वि.स.स. बांसवाड़ा/परतापुर।
19. समस्त उचित मूल्य दुकानदार जिला बांसवाड़ा द्वारा सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक को पालनार्थ ।
20. लेखा, अनुभाग कार्यालय हाजा।

जिला रसद अधिकारी,
बाँसवाड़ा